

11 प्रत्येक ईकाई को आवंटित बजट जिसमें योजनाओं की विशेषता , प्रस्तावित व्यय , वितरण की रिपोर्ट आदि दर्शाए गए हों

विभाग द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों/जिला कार्यक्रम अधिकारियों / बाल विकास परियोजना अधिकारियों को विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु योजना एवं गैर-योजना बजट का आवंटन क्र०सं० 1 पर दर्शाया अनुसार किया जाता है ।

12 सबसीडी प्रोग्राम के निष्पादन का ढंग जिसमें आवंटित राशि एवं लाभान्वित का विवरण शामिल हो

यह सूचना वैबसाईट <http://www.himachal.gov.in/welfare/Welfare Deptt.htm> पर उपलब्ध है कार्यक्रमों एवं निष्पादन का तरीका सार संग्रह में है जो संलग्न है ।

13 प्राप्त कर्ताओं की विशेषता परमिट एवं अधिकारिता

लागू नहीं होता है ।

14 सूचनाओं का विवरण जो इलक्ट्रानिक अवस्था में है

यह सूचना वैबसाईट <http://www.himachal.gov.in/welfare/Welfare Deptt.htm> पर उपलब्ध है

15 नागरिकों द्वारा वाछित सुविधाओं जैसे लाईब्रेरी, रीडिंग रूम यदि जन साधारण के लिए हो

निदेशालय, जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में समस्त योजनाओं के दिशा निर्देश उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभाग की वैबसाईट में भी सूचना उपलब्ध है । परन्तु लाईब्रेरी, रीडिंग रूम उपलब्ध नहीं है ।